[2021] 7 एस. सी. आर. 565

अली अहमद

वी.

बिहार राज्य और ए. एन. आर.

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1374)

12 नवंबर, 2021

[के. एम. जोसेफ और पामिदिघांतम

श्री नरसिम्हा, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.389 का निलंबन

अपील लंबित रहने तक सजा; जमानत पर अभियुक्त की रिहाई-दूसरा प्रतिवादी-अभियुक्त को निचली अदालत द्वारा एस के तहत दोषी ठहराया गया था। 302 आईपीसी

और आजीवन कारावास की सजा-लंबित अपील, उच्च न्यायालय एस के तहत दायर अनुमति प्राप्त आवेदन। 389 - शिकायतकर्ता द्वारा अपील

-

आयोजित किया गयाः एस के लिए पहले परंतुक की शुरुआत के साथ। 389 , कानून

गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को रिहा करने के मामले में दाता ने एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

इसमें संकेत दिया गया है-प्रत्येक कानून का पालन करने का इरादा है -

विवादित आदेश, पहले परंतुक का अधिदेश नहीं दिया गया है

अनुसरण-दोषसिद्धि के बाद जमानत की मंजूरी स्पष्ट रूप से एस के तहत एक विचाराधीन कैदी को जमानत देने से अलग आधार पर है। 439 - दूसरे प्रत्यर्थी के लिए तर्क कि सहारा लिया जा सकता है

एस में दूसरे प्रावधान के लिए। 389 गलत स्थान पर है-दूसरा प्रावधान क्या है

इस बारे में बात की जाती है कि जब किसी व्यक्ति को एस के तहत जमानत पर रिहा किया जाता है। 389 , लोक अभियोजक के लिए जमानत रद्द करने की मांग करना खुला है -

जाहिरा तौर पर जमानत रद्द करने का उद्देश्य मामलों से निपटना है

आचरण के आधार पर शर्तों का उल्लंघन

अनिवार्य रूप से जमानत देने के बाद अपीलार्थी (जमानत के लिए आवेदक) -

पहले परंतुक के आदेश का पालन अपने आप किया जाना चाहिए। इसलिए, इन मामलों में, विवादित आदेश इसके अनुरूप नहीं हैं -

कानून की आवश्यकता-आवेदनों को लेने के लिए उच्च न्यायालय

दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा दायर किया गया और एस में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना। 389 .

अतुल त्रिपाठी बनाम। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य (2014)

9 एससीसी 177: [2014] 14 एस. सी. आर. 1188-पर निर्भर।

कश्मीरा सिंह बनाम। पंजाब राज्य AIR 1977 SC 2147

: [1978] 1 एस. सी. आर. 385-संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[2014] 14 एससीआर 1188

पैरा 5

संदर्भित किया गया है

[1978] 1 एससीआर 385

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2021 का No.1374।

उच्च न्यायालय के 08.01.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की आपराधिक अपील (डी. बी.) No.599 में पटना में न्यायिक कार्य।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 1375 और 2021 का 1376।

एम. शोएब आलम, सुश्री फौजिया शकील, गौतम झा, पंकज कुमार,

सुश्री श्वेता झा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

मनीष कुमार, सुश्री अनीशा माथुर, समीर अली खान, गौरव

अग्रवाल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

आदेश

के. एम. जोसेफ, जे.

(1) छुट्टी दे दी गई।

(2) इन दोनों अपीलों में, अपीलार्थी शिकायतकर्ता है। वह.

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर आपत्ति जताता है जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Cr.P.C) की धारा 389 के तहत होने का तात्पर्य है।

(3) आक्षेपित आदेश द्वारा, दोनों में दूसरा प्रतिवादी

अपीलें जमानत पर रिहा कर दी गई हैं। इन दोनों अपीलों में दूसरे प्रतिवादी पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (आई. पी. सी.) की धारा 307 सहित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया। उन्हें निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। यह उक्त दोषसिद्धि को चुनौती दे रहा है कि आपराधिक अपील वर्ष 2019 में पटना में उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। यह धारा 389 Cr.P.C के तहत दायर आवेदनों में है कि विवादित आदेश पारित किए गए हैं।

(4) हमने श्री एम. शोएब आलम, विद्वान वकील को सुना है

अपीलार्थी और दोनों मामलों में दूसरे प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री गौरव अग्रवाल और राज्य के विद्वान वकील श्री मनीष कुमार।

(5) अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील 389 Cr.P.C पर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे। वह इंगित करेंगे कि यह पहले का आदेश है ताकि लोक अभियोजक को एक आवेदन में अपनी आपत्तियों को लिखित रूप में बताने का अवसर दिया जाए। इस डी में, उन्होंने अतुल थीव मामले में इस न्यायालय के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2014) 9 एस. सी. सी. 177 जिसमें न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार निर्धारित किया हैः

14. अपील की एक प्रति की सेवा और अपीलार्थी द्वारा लोक अभियोजक पर जमानत के लिए आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 (1) के पहले परंतुक की आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा। अपीलीय अदालत लोक अभियोजक को सुने बिना भी जमानत देने से इनकार कर सकती है। हालांकि, यदि अपीलीय अदालत दोषी को जमानत पर रिहा करने पर विचार करने के लिए इच्छुक है, तो लोक अभियोजक होगा

लिखित रूप में कारण दिखाने का अवसर दिया गया कि क्यों

अपीलार्थी को जमानत पर रिहा नहीं किया जाए। इस तरह का कड़ा प्रावधान केवल यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है कि अदालत को सभी प्रासंगिक कारकों से अवगत कराया जाए ताकि अदालत इस बात पर विचार कर सके कि क्या यह अपराध करने के तरीके, अपराध की गंभीरता, उम्र, दोषी की आपराधिक पृष्ठभूमि, न्याय-वितरण में जनता के विश्वास पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए रिहाई के लिए एक उचित मामला है या नहीं।

प्रणाली आदि। इस तरह के अवसर दिए जाने के बावजूद

लोक अभियोजक, यदि लिखित रूप में कोई कारण नहीं दिखाया जाता है, तो अपीलीय न्यायालय यह दर्ज करेगा कि राज्य ने लिखित रूप में कोई आपत्ति दायर नहीं की है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना है,

यह सुनिश्चित करना कि सांठगांठ का कोई आरोप नहीं है और यह सुनिश्चित करना कि दोषसिद्धि के बाद के चरण में गंभीर अपराधों के संबंध में जमानत देने के लिए प्रासंगिक विचारों के संबंध में न्यायालय को सही और सही तथ्यों के साथ राज्य द्वारा उचित रूप से सहायता प्रदान की जाए।

15. कानूनी स्थिति को संक्षेप मेंः

15.1 . अपीलीय न्यायालय, यदि इस पर विचार करने के लिए इच्छुक है

आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास, पहले लोक अभियोजक को कारण दिखाने का अवसर देगा। इस तरह के रिलीज के खिलाफ लिखना।

15.2 . ऐसा अवसर दिए जाने पर, राज्य है -

अपनी आपत्तियाँ, यदि कोई हों, लिखित रूप में दर्ज करने की आवश्यकता है।

15.3 . यदि लोक अभियोजक लिखित रूप में आपत्तियाँ दायर नहीं करता है, तो अपीलीय न्यायालय अपने आदेश में निर्दिष्ट करेगा कि द्वारा दिए गए अवसर के बावजूद कोई आपत्ति दायर नहीं की गई थी।

अदालत।

15.4 . अदालत सभी प्रासंगिक कारकों पर विवेकपूर्ण रूप से विचार करेगी, चाहे वे आपत्तियों में निर्दिष्ट हों या नहीं, जैसे कि

अपराध, अपराध की प्रकृति, उम्र, दोषी की आपराधिक पृष्ठभूमि, अदालत में जनता के विश्वास पर प्रभाव, आदि।

रिहाई का आदेश "।

वह इंगित करेंगे कि हालांकि यह सच हो सकता है कि आदेशों से पता चलता है कि लोक अभियोजक को सुना गया था, प्रक्रिया में विचार किया गया था

प्रथम परंतुक और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में निर्दिष्ट किया गया है, का पालन नहीं किया गया है।

उन्होंने आगे हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि धारा 439 Cr.P.C के तहत एक आवेदन एक आवेदन से अलग आधार पर खड़ा है।

मामले। दूसरे शब्दों में, उन्होंने हमारा ध्यान उस सिद्धांत की ओर आकर्षित किया जो इस न्यायालय द्वारा कश्मीरा सिंह बनाम में दिए गए फैसले में प्रतिपादित किया गया है। पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 2147 वह इंगित करेंगे कि बाद के निर्णयों में भी इस सिद्धांत का पालन किया गया है। वह इंगित करेंगे कि आदेश अनुदान को उचित ठहराने के लिए किसी भी तर्क का खुलासा नहीं करता है। ऐसे मामले में जमानत जहां विचारण न्यायालय ने साक्ष्य पर विचार करने के बाद धारा 302 के तहत अपराधों के दोनों मामलों में दूसरे प्रतिवादी को दोषी ठहराया है।

(6) इसके विपरीत, दूसरे प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री गौरव अग्रवाल इंगित करेंगे कि जनता

अभियोजक को धारा 389 में दूसरा परंतुक लागू करने का अधिकार है जो उसने नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि वह आदेश को लागू करने के लिए अपीलार्थी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाता है, लेकिन वह प्रस्तुत करेगा कि तथ्यों पर, हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। वह आगे बताते हैं कि आक्षेप के अनुसार

आदेश, दोनों मामलों में दूसरा प्रतिवादी, लगभग दो साल से जमानत पर बाहर है। अपीलार्थी अंतिम तर्क पर दूसरे प्रत्यर्थी के साथ मुद्दे में शामिल हो जाता है जो यह है कि दूसरे प्रत्यर्थी यह इंगित करते हुए जमानत पर बाहर हो गए हैं कि अपीलार्थी ने मामले का यथासंभव शीघ्रता से पालन किया है। पत्र दूसरे द्वारा प्रसारित

किया गया था उत्तरदाता। इसके बाद मामले को स्थगित कर दिया गया और मामले की सुनवाई आज ही की जा सकी और यह अपीलार्थी की गलती नहीं है। यह आगे अली अहमद बनाम है।

यह इंगित किया गया कि अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और यह एक ऐसा मामला है जहां विवादित आदेश कानूनी दोष से पीड़ित होने के अलावा कोई तर्क नहीं दिखाते हैं जिसे संदर्भित किया गया है। , पहले परंतुक में दी गई प्रक्रिया का पालन न करना।

(7) हम राज्य के विद्वान वकील को भी पहले ही सुन चुके हैं।

नोट किया।

(8) यह वास्तव में सच है कि धारा 389 के पहले परंतुक की शुरूआत के साथ कानून देने वाले ने एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है -

गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को रिहा करने के मामले में, जैसा कि इसके तहत संकेत दिया गया है। प्रत्येक कानून का पालन करने का इरादा है। इस तथ्य पर कि इसका पालन करने का इरादा है, इस न्यायालय द्वारा अतुल त्रिपाठी (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय में ध्यान दिया गया है। इसके बावजूद, विवादित आदेशों में, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले परंतुक के आदेश का पालन नहीं किया गया है। दोषसिद्धि के बाद जमानत देना स्पष्ट रूप से धारा 439 के तहत एक विचाराधीन कैदी को जमानत देने से अलग है। दूसरे प्रत्यर्थी के विद्वान वकील का यह तर्क कि धारा 389 में दूसरे परंतुक का सहारा लिया जा सकता है, गलत है। दूसरा परंतुक यह बताता है कि जब किसी व्यक्ति को धारा 389 के तहत जमानत पर रिहा किया जाता है, तो यह लोक अभियोजक के लिए खुला होता है।

जमानत रद्द करने की मांग करना। जाहिरा तौर पर जमानत रद्द करने का उद्देश्य अनिवार्य रूप से जमानत देने के बाद अपीलार्थी (जमानत के लिए आवेदक) के आचरण के आधार पर शर्तों के उल्लंघन के मामलों से निपटना है। पहले परंतुक के आदेश का पालन अपने आप किया जाना चाहिए।

(9) इसलिए हमारा विचार है कि इन मामलों में, आक्षेपित

आदेश कानून की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उच्च न्यायालय से दूसरे उत्तरदाताओं द्वारा दायर आवेदनों पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया जाना चाहिए। हालाँकि, हम देखते हैं कि दोनों मामलों में दूसरा प्रतिवादी काफी समय से विवादित आदेशों के आधार पर जमानत पर बाहर है। हालाँकि, हम इस तथ्य से पूरी तरह से अनजान नहीं हो सकते हैं कि आपराधिक अपीलों को उस अभियान के साथ नहीं लिया जाता है जिसके साथ उन्हें डॉकेट विस्फोट के संबंध में लिया जाना है जिससे अदालतें त्रस्त हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आवेदन करते समय इन पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

निलंबन/जमानत के लिए प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है।

मामला।

(10) इसलिए हम अपीलों की अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं और उच्च न्यायालय से दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदनों पर विचार करने का अनुरोध करते हैं।

और धारा 389 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना।

अनुमति दी जाती है। विवादित आदेशों को अलग कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय प्रथम परंतुक सहित धारा 389 के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए आवेदनों पर विचार करेगा। इसके अलावा, हम निर्देश देंगे कि दोनों मामलों में दूसरे प्रतिवादी को आवेदनों पर विचार के दौरान आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, उनका भाग्य आवेदनों पर विचार करने पर निर्भर करेगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कुछ नहीं कहा है। पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए, हम अनुरोध करते हैं

उच्च न्यायालय आवेदनों पर विचार करेगा और इस आदेश की एक प्रति उसके समक्ष पेश किए जाने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर उनका निपटारा करेगा।

आपराधिक अपील सं। 1376 2021 का

(एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से बाहर निकलना 2021 का No.2665 (II-A)

(11) छुट्टी दे दी गई।

(12) अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है। उन्होंने धारा 389 के तहत आवेदन दायर किया। द इम्पाग्ड

आदेश इस प्रकार हैः

" विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) डायरी संख्या (ओं) के निपटारे के बाद इस अपील को उसी शीर्षक के तहत सूचीबद्ध करें। 9485 2020 का, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 08.01.2020 में पारित आदेश के खिलाफ उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है

इस न्यायालय द्वारा 2019 का Cr.Appeal (DB) सं. 599, जिसके द्वारा प्रार्थना

सह-दोषी बृज मोहन पांडे की जमानत के लिए अनुमति दी गई।

(13) आज हमने उस मामले का निपटारा कर दिया है जिसका उसमें उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, हमें यह संकेत देने की आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय को इस तथ्य के आधार पर मामले को लंबित नहीं रखना चाहिए था कि एक सह-दोषी द्वारा निलंबन के लिए दायर आवेदन के संबंध में एसएलपी दायर की गई है। सजा के निलंबन और अपीलार्थी की जमानत के आवेदन पर उसकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था। (14) हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम पहले ही अन्य मामलों का निपटारा कर चुके हैं, हम इस बात का कोई कारण नहीं देखते हैं कि अपीलार्थी द्वारा सजा के निलंबन और जमानत के लिए धारा 389 के तहत दायर आवेदन पर अपने आप विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम अपील का निपटारा करते हैं

उच्च न्यायालय से अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन पर इस निर्णय की प्रति पेश करने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर जल्द से जल्द और अधिमानतः विचार करने का अनुरोध करके। देविका गुजराल

अ

पीलों की अनुमति दी गई।